रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2019/माघ 18, 1940
No. 646] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2019/MAGHA 18, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2019

का.आ. 764(अ).—केन्द्रीय सरकार, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और अनुप्रयोज्यता.—(1)** इस योजना का संक्षिप्त नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन, योजना 2019 है।

(2) यह योजना 15 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त होगी।

(3) इस योजना के उपबंधों के अधीन रहते हुए असंगठित कर्मकारों को 15 फरवरी, 2019 से इस योजना का सदस्य बनने का विकल्प होगा।

(4) इस योजना के उपबंध उन असंगठित कर्मकारों पर लागू होंगे जो गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्टा कर्मकार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, ऑन अकाउंट कर्मकार, कृषि कर्मकार, सन्निर्माण कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दृश्य-श्रव्य कर्मकार के रूप में एवं ऐसे ही अन्य व्यवसायों में कार्य कर रहे हैं।

(2) परिभाषाएं.—इस योजना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) अभिप्रेत है;

(ख) "असंगठित कर्मकार" का वही अर्थ होगा जो इसका अधिनियम की धारा 2 के खंड (ड) में है;

(ग) "असंगठित क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो इसका अधिनियम की धारा 2 के खंड (ठ) में है ;

(घ) "पात्र अभिदाता" से वह कर्मकार अभिप्रेत है जो इस योजना में सम्मिलित होने का पात्र है।

(ङ.) "परिवार" से,-

(i) पुरूष पात्र अभिदाता के मामले में, उसकी पत्नी;

(ii) महिला पात्र अभिदाता के मामले में, उसका पति अभिप्रेत है;

(च) पुरूष लिंग के अंतर्गत स्त्रीलिंग भी है;

(छ) "पेंशन" से इस योजना के अधीन पात्र अभिदाता को देय रकम अभिप्रेत है;

(ज) "अंशदान" से पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि में इस योजना के साथ संलग्न अंशदान चार्ट में विनिर्दिष्ट मासिक आधार पर किसी प्रात्र अभिदाता द्वारा संदेय की जानेवाली रकम अभिप्रेत है;

(झ) "तुलनीय अंशदान" से पात्र अभिदाता के खाते में पात्र अभिदाता द्वारा जितनी रकम अंशदान में दी गई, केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय उसके बराबर रकम अभिप्रेत है;

(ञ) "राष्ट्रीय बोर्ड" का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) में है;

3. पेंशन निधि:- (1) केन्द्रीय सरकार, इस योजना के प्रयोजनों के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो, राष्ट्रीय बोर्ड के परामर्श से उस सरकार द्वारा प्रशासित की जाने वाली पेंशन निधि का गठन करेगी।

(2) पात्र अभिदाता, जो इस योजना में सम्मिलित होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-अवधारित ऐसे सम्मिलित होने के समय पात्र अंशदाता की आयु के अनुसार, पेंशन निधि में इस योजना के साथ संलग्न अंशदान चार्ट में यथा विनिर्दिष्ट अंशदान करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार भी पेंशन निधि में किसी पात्र अभिदाता द्वारा अंशदान में दी गई, रकम के बराबर रकम का अंशदान करेगी;

(4) उप-पैरा (1) या उप-पैरा (2) के अधीन संदेय प्रत्येक अंशदान को इस तरह से पूर्णांक बनाया जाएगा जिससे पचास पैसे अथवा उससे अधिक की रकम को अगले उच्चतर रूपये में गिना जाएगा और पचास पैसे से कम रूपये के अंश पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4. अंशदानों के संदाय में व्यतिक्रम के लिए नुकसानी की वसूली.—जहां कोई पात्र अभिदाता इस योजना के अधीन नियम 3 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट पेंशन निधि में उसके द्वारा संदेय किए जाने वाले किसी अंशदान के संदाय में व्यतिक्रम करता है, तो उसे समय-समय पर भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यथा-अवधारित ब्याज की दर के साथ उसके सम्पूर्ण बकाया देय का संदाय करके उसके अंशदान को नियमित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

5. योजना में सम्मिनित होने की पात्रता.—(1) यह योजना सम्मिलित होने के लिए केवल उस असंगठित कर्मकार के लिए खुली होगी, जिसकी मासिक आय पन्द्रह हजार रूपये से अधिक न हो और जिसका बैंक में अपने नाम से बचत खाता और आधार संख्या हो और ऐसा असंगठित कर्मकार योजना में सम्मिलित होते समय अठारह वर्ष से कम तथा चालीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो।

(3) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट असंगठित कर्मकार इस स्कीम में सम्मिलित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 (1948 का 34) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 (1952 का 19) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित हो अथवा वह आयकर दाता हो।

6. शंकाएं इत्यादि का समाधान.—यदि कोई शंका उत्पन्न होती है कि क्या कोई असंगठित कर्मकार इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र अभिदाता होने का पात्र है या नहीं अथवा इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई हो तो—

(i) ऐसी शंका की स्थिति में, मामले को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव और श्रम कल्याण महानिदेशक को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उनका स्पष्टीकरण अंतिम होगा ;

(ii) क्रियान्वयन में ऐसी कठिनाई की स्थिति में मामले को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका स्पष्टीकरण अंतिम होगा ।

7. पेंशन योजना को छोड़ने के लाभ.—इस योजना के अंतर्गत इससे बाहर निकलने के उपबंध एवं फायदे निम्नवत हैं, अर्थात:—

(i) किसी पात्र अभिदाता के इस योजना में सम्मिलित होने से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलने की स्थिति में, उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को उस रकम पर बचत खाता से मिलने वाले ब्याज की दर के साथ लौटाया जाएगा;

(ii) यदि कोई पात्र अभिदाता इस स्कीम में सम्मिलित होने से दस वर्षों अथवा अधिक की अवधि के भीतर परन्तु साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व इस स्कीम से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि से अर्जित की जाने वाली वास्तविक ब्याज रकम को जोड़कर अथवा उस रकम पर बचत खाता से मिलने वाले ब्याज दर, जो भी अधिक हो के साथ लौटाया जाएगा;

(iii) यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान किए हैं और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा-प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा स्कीम में बने रहने अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हो, संचित ब्याज सहित इस अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इसे छोड़ने का हकदार होगा/होगी;

(iv) अभिदाता और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के पश्चात, यह समग्र राशि निधि में वापस डाल दी जाएगी;

(v) उपर्युक्त खण्ड (i), (ii) और (iii) के कारण छोड़ने के मामले में, सरकार के अंशदान का संचित भाग पेंशन निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा;

(vi) नामांकन सहित छोड़ने का कोई अन्य उपबंध, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी करके विनिश्चित किया जाए।

8. नि:शक्तता लाभ.—यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान अदा किए हैं और साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले किसी कारणवश स्थायी रूप से नि:शक्त हो जाता है, और इस योजना के अंतर्गत अंशदान देते रहने में असमर्थ हो जाता है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा स्कीम में बने रहने अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हो, ब्याज सहित इस अभिदाता द्वारा अदा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इस योजना को छोड़ने का हकदार होगा/होगी।

9. पात्र अभिदाता की मृत्यु पर परिवार को फायदे.—पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में इस पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का केवल पचास प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी परिवार पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही प्रयोज्य होगी।

10. पेंशन का भुगतान.— (1) साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात इस योजना के अधीन प्रत्येक पात्र अभिदाता सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन तीन हजार रुपये प्राप्त करेगा।

(2) एक बार पात्र अभिदाता अठारह से चालीस वर्ष के बीच की प्रवेश आयु में इस योजना में सम्मिलित हो जाता है, तो ऐसे अभिदाता को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अंशदान करना होगा और साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसा अभिदाता नियम 9 में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पारिवारिक पेंशन के लाभ के साथ तीन हजार रुपये, सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन पाने का हकदार होगा। ।

उपाबंध

[पैरा 3(2) देखें]

प्रवेश आयु (वर्ष में)	**अधिवर्षिता आयु (वर्ष में)**	**सदस्यों का मासिक अंशदान (रुपये)**	**केंद्र सरकार का मासिक अंशदान (रुपये)**	**कुल मासिक अंशदान (रुपये)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)= (3)+(4)**
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	**60**	**100**	**100**	**200**
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	**60**	**200**	**200**	**400**

[फा. सं. एल-11011/04/2018-आरडब्ल्यू (खण्ड.1)]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव और महा निदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the, 7th February, 2019

S.O. 764(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (33 of 2008), the Central Government hereby makes the following Scheme to provide for old age protection to the unorganised workers, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) This Scheme may be called the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan, 2019.

(2) It shall come into force on the 15th day of February, 2019.

(3) Subject to the provisions of this Scheme, the unorganised workers have option to become the members of the Scheme, on and from the 15th day of February, 2019.

(4) The provisions of this Scheme shall apply to the unorganised workers who are working or engaged as home based workers, street vendors, mid-day meal workers, head loaders, brick kiln workers, cobblers, rag pickers, domestic workers, washer men, rickshaw pullers, landless labourers, own account workers, agricultural workers, construction workers, beedi workers, handloom workers, leather workers, audio- visual workers and similar other occupations.

2. Definitions.- In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (33 of 2008);

(b) "unorganised worker" has the same meaning as assigned to it in clause (m) of section 2 of the Act;

(c) "unorganised sector" has the same meaning as assigned to it in clause (l) of section 2 of the Act;

(d) "eligible subscriber" means an unorganised worker who is eligible to join this Scheme;

(e) "family" means,—

(i) his wife, in the case of male eligible subscriber;

(ii) her husband, in the case of a female eligible subscriber;

(f) "pension" means the amount payable under this Scheme to the eligible subscriber;

(g) "contribution" means the amount specified in the contribution chart appended with this Scheme, to be payable monthly by an eligible subscriber in the pension fund referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3;

(h) "matching contribution" means the equal amount as contributed by the eligible subscriber, payable by the Central Government to the eligible subscriber's account;

(i) "National Board" has the same meaning as assigned to it in clause (d) of section 2 of the Act.

3. Pension Fund.—(1) The Central Government shall for the purposes of this Scheme, establish a Pension Fund to be administered by that Government in consultation, wherever required, with the National Board.

(2) The eligible subscriber, who joins the Scheme, shall subscribe to the Pension Fund as determined by the Central Government from time to time at the time of such joining in accordance with the age of the eligible subscriber, as specified in the contribution chart appended as Annexure to this Scheme.

(3) The Central Government shall also contribute to the Pension Fund the equal amount as contributed by an eligible subscriber.

(4) Each contribution payable under sub-paragraph (1) or sub-paragraph (2) shall be rounded off so as to the amount of fifty paise or more shall be counted as the next higher rupee and a fraction of a rupee less than fifty paise shall be ignored.

4. Eligibility to join the Scheme.—(1) This Scheme shall be open only to the unorganised worker for joining, whose monthly income is not exceeding fifteen thousand rupees and who has a savings bank account in his name and Aadhar number.

(2) The unorganised worker referred to in sub-paragraph (1) shall be not less than eighteen years of age and not exceeding forty years of age.

(3) The unorganised worker referred to in sub-paragraph (1) shall not be eligible to join the Scheme, if he is covered under National Pension Scheme contributed by the Central Government or Employees' State Insurance Corporation Scheme under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) or Employees' Provident Fund Scheme under the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) or he is an income-tax assessee.

5. Recovery of damages for default in payment of contributions.—Where an eligible subscriber makes a default in the payment of any contribution to be payable by him under this Scheme to the Pension Fund referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3, then, he shall be allowed to regularise his contribution by paying his entire outstanding dues, along with interest of the rate as determined by the Government of India in the Ministry of Labour and Employment from time to time.

6. Resolution of doubts, etc.—If any doubt arises as to whether any unorganised worker is entitled to become an eligible subscriber to join this Scheme or any difficulty arises in implementation of this Scheme, then,-

(i) in case of such doubt, the issue shall be referred to the Joint Secretary and Director General Labour Welfare, Government of India in the Ministry of Labour and Employment, New Delhi, whose clarification thereon shall be conclusive; and

(ii) in case of such difficulty in implementation, the issue shall be referred to the Central Government, whose clarification thereon shall be conclusive.

7. Benefits on leaving the Pension Scheme.—The exit provisions and benefits thereunder, of this Scheme are as under, namely:—

(i) in case an eligible subscriber exits this Scheme within a period of less than ten years from the date of joining the Scheme by him, then the share of contribution by him only will be returned to him with savings bank rate of interest payable thereon;

(ii) if an eligible subscriber exits after completion of a period of ten years or more from the date of joining the Scheme by him but before his age of sixty years, then his share of contribution only shall be returned to him along with accumulated interest thereon as actually earned by the Pension Fund referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3 or the interest at the savings bank interest rate thereon, whichever is higher;

(iii) if an eligible subscriber has given regular contributions and died due to any cause, his spouse shall be entitled to continue with the Scheme subsequently by payment of regular contribution as applicable or exit by receiving the share of contribution paid by such subscriber along with accumulated interest, as actually earned thereon by the Pension Fund, referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3 or at the savings bank interest rate thereon, whichever is higher;

(iv) after death of subscriber and his or her spouse, the corpus shall be credited back to the fund;

(v) in case of exit on account of clauses (i), (ii) and (iii) above, the accumulated share of Government's contribution shall be credited back to the Pension Fund;

(vi) any other exit provision, including nomination, as may be decided by the Central Government by issuing instructions from time to time.

8. Benefits on disablement.- If an eligible subscriber has given regular contributions and become permanently disabled due to any cause before attaining his age of sixty years, and is unable to continue to contribute under this Scheme, his spouse shall be entitled to continue with the Scheme subsequently by payment of regular contribution as applicable or exit the Scheme by receiving the share of contribution deposited by such subscriber, with interest as actually earned thereon by the Pension Fund, referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3 or the interest at the savings bank interest rate thereon, whichever is higher.

9. Benefits to the family on death of an eligible subscriber.- During the receipt of pension, if an eligible subscriber dies, his spouse shall be only entitled to receive fifty per cent. of the pension received by such eligible subscriber, as family pension and such family pension shall be applicable only to the spouse.

10. Payment of pension.- (1) Each eligible subscriber under this Scheme shall receive assured minimum monthly pension of three thousand rupees after attaining the age of sixty years.

(2) Once the eligible subscriber joins this Scheme at the entry age between eighteen to forty years, such subscriber has to contribute till attaining the age of sixty years and on attaining his age of sixty years, such subscriber shall be entitled to get the assured minimum monthly pension of three thousand rupees with benefit of family pension specified in paragraph 9, as the case may be.

Annexure

[see paragraph 3(2)]

Entry Age (in years)	Superannuation Age (in years)	Member's monthly contribution (Rs.)	Central Government's monthly contribution (Rs.)	Total monthly contribution (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)+(4)
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	**60**	**100**	**100**	**200**
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	**60**	**200**	**200**	**400**

[F. No. L-11011/04/2018-RW (Pt.1)]

AJAY TEWARI, Jt. Secy. & Director General (Labour Welfare)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.02.07 21:56:51 +05'30'